प्राचार्य का कार्यालय
श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर

इस चिकित्सा महाविद्यालय में दिनांक – 08.12.2022 को 1:00 बजे अप0 में प्राचार्य प्रकोष्ठ में प्राचार्य की अध्यक्षता में आहुत Anti-Ragging Committee की बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों (Anti-Ragging Committee के अध्यक्ष/सदस्य) के समक्ष निम्नलिखित बिन्दुओं पर विचार–विमर्श किया तथा निम्न निर्णय लिया गया :–

1. सर्वप्रथम बैठक में एम0बी0बी0एस0 प्रथम वर्ष, सत्र 2022–23 में नामांकित छात्र – आशुतोष कुमार के साथ हुए Ragging की घटना पर गंभीरता से चर्चा करते हुए संबंधित छात्र से वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त की गई । बैठक में आशुतोष कुमार के साथ उनके पिता भी उपस्थित थें ।
2. आशुतोष कुमार के साथ Ragging करने वाले सत्र 2021–22 के दोनो छात्र – मनोज कुमार (Roll-52) एवं जिशान अहमद (Roll-102), को बैठक में बुलाया गया एवं सख्ती से पूछ–ताछ की गई, जिसमें उन दोनो के द्वारा अपनी गलती को स्वीकार किया गया एवं माफी मॉगते हुए भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नही करने का लिखित आवेदन देने की बात कही । इस दौरान इनके अभिभवक भी उपस्थित थें ।
3. कमिटी द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि Ragging करने वाले दोनो छात्र – मनोज कुमार (Roll-52) एवं जिशान अहमद (Roll-102) को फाईनल एम0बी0बी0एस0 उपरांत उनके चरित्र प्रमाण–पत्र (in Black) में उक्त घटना को दर्ज किया जाएगा । सम्यक विचारोपरान्त कमिटी ने छात्रहितार्थ के मद्देनजर यह भी निर्णय लिया कि आगामी पॉच वर्षो में इनका कियाकलाप एवं आचार/व्यवहार/आचरण सही पाया जाता है, तो इन्हे चरित्र प्रमाण–पत्र अन्य छात्रो की भॉति निर्गत किया जा सकता है ।
4. कमिटी द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि उक्त दोनो छात्रो का विभाग से उपस्थिति विवरणी मॅगाते हुए, यदि उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम पाया जाता है, तो उन्हे Sent up नही किया जाएगा ।
5. छात्रो में इसका एक संदेश जाए, इस मद्देनजर कमिटी द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि भविष्य में Extra Classes Provision को तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाए ।
6. Ragging करने वाले दोनो छात्रो को सजा के तौर पर यह भी निर्देश दिया गया कि परिसर में किसी भी छात्र के द्वारा, किसी भी छात्र के साथ, कहीं भी Ragging किया जाता है, तो गोपनीय ढंग से इसकी सूचना संबंधित पदाधिकारी को देंगे ।
7. अन्त में Anti-Ragging Committee के सभी सदस्यों एवं वार्डेन को Ragging के मद्देनजर अधिक सजग एवं सतर्क रहने का निर्देश दिया गया, ताकि किसी भी छात्र के साथ इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न होने पायें ।

ह0/–
प्राचार्य
श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुज0

ज्ञापांकः– 861/22 दिनांकः– 09-12-22
प्रतिलिपिः–

1. सभी विभागाध्यक्ष/सभी वार्डेन/मुख्य वार्डेन/ईस्टेट ऑफिसर, श्री कृष्ण चिकि0 महा0, मुज0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।
2. सभी छात्र/छात्राओं को कॉलेज वेबसाईट/नोटिस बोर्ड के माध्यम से सूचनार्थ प्रेषित।

9/12/22

प्राचार्य
श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुज0

Principal
S.K.Medical College
Muzaffarpur